

अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 465/X-4-15/1(264)/2015 दिनांक 01 जुलाई, 2015 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त परियोजना-जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मोरनौला जैती मोटर मार्ग के किलोमीटर 21 से चौकुना मोटर मार्ग (लम्बाई 16.325 कि०मी०) के निर्माण हेतु 4.004 हैक्टेयर वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के क्रम में चाही गई शर्तों/प्रतिबन्धों की बिन्दुवार सूचना/अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या-01. मोटर मार्ग हेतु कुल 4.004 हैक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि के एवज में 8.008 हैक्टेयर, राजस्व ग्राम करगेत, तहसील सल्ट, जनपद अल्मोड़ा की सविल भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक/वॉछित धनराशि रुपया 11,45,144.00 (रुपया ग्यारह लाख पैंतालीस हजार एक सौ चवालीस) मात्र की धनराशि उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण देहरादून द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है। जमा धनराशि की पुष्टि से सम्बन्धित प्रपत्र। (संलग्नक-01)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित राजस्व ग्राम करगेत उक्त की इस प्रयोजन हेतु चिन्हित 8.008 हैक्टेयर सिविल भूमि को जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा अपने आदेश संख्या 1121/ग्यारह-14/2015-16, दिनांक 19 नवम्बर, 2015 द्वारा वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित कर दी गई है। (संलग्नक-02) तत्क्रम में खसरा-खतौनी में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 8.008 हैक्टेयर सिविल भूमि, वन विभाग के नाम अमल दरामद कर दी गई है। खतौनी तथा सजरा सीट की प्रति संलग्न की जा रही है। (संलग्नक क्रमशः 03 एवं 04) सम्बन्धित सिविल भूमि को वर्तमान में वन विभाग के स्वामित्व में होने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा (संलग्नक-05)

शर्त संख्या-02. प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक/निर्धारित धनराशि रुपया 11,44,000.00 (रुपया ग्यारह लाख चवालीस हजार) मात्र उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण देहरादून द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है। जमा धनराशि की पुष्टि से सम्बन्धित प्रपत्र (संलग्नक- 01)

शर्त संख्या-03. माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीसन (सिविल) 202/1995 दिनांक 05/02/2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि रुपया 33,83,380.00 (रुपया तैंतीस लाख तिरासी हजार तीन सौ अरसी) मात्र, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण देहरादून द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है। जमा धनराशि की पुष्टि से सम्बन्धित प्रपत्र। (संलग्नक-01)

शर्त संख्या-04. सक्षम स्तर से यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कर दी जायेगी। इस क्रम में बचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक-06)

शर्त संख्या-05. एवं 06 शर्तों के अनुपालन में उक्त मदों में देय धनराशि RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 037100101025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली के IFSC Code- CORP0000371, MICR Code- 110017007 एवं Branch Code-000371 में जमा कर दी गई है। समस्त वॉछित निधियों की धनराशि जमा होने की पुष्टि का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-01)

शर्त संख्या-7. जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। सम्बन्धित प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-07)

शर्त संख्या-8. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/निर्धारित प्रमाण-पत्र जो कि इस मोटर मार्ग के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में मूल रूप में संलग्न किये गये थे, प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक- 09 (पृष्ठ 01 से 15 तक))

शर्त संख्या-9. ~~सूचना~~ मोटर मार्ग के सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या 465/X-4-15/1(264)/2015 दिनांक 01 जुलाई, 2015 में निहित उक्त समस्त सम्बन्धित शर्तों/प्रतिबन्धों का अक्षरक्षः पालन किया गया है/किया जायेगा। प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक -10)

शर्त संख्या-10. निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के प्रयोक्ता एजेन्सी/कार्यदायी संस्था द्वारा अनुपालन किये जाने की बचनबद्धता के दृष्टिगत कृपया प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत करना चाहें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
अल्मोड़ा

					Charges1 0/- : Other Charges2 0/- : Other Charges3 0/- : Total : 6815301/-		Generated : 2016 On Transaction Date : 08 Jul 2015	
6	FP/UK/ROAD/11123/2015 Barakuna to chalthi motor road	ROAD111232015414	113111232015414	01 Jul 2015	CA: 1063062/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 3140865/- Nil : 0/- Nil : 0/- Nil : 0/- Total : 5265927/-	PAID	Fund Demand Verified by : 18 Mar 2016 Nodal Officer On : Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : Transaction Date : 08 Jul 2015	Demand Letter General Challan
7	FP/UK/ROAD/11865/2015 maumaula -jalti motor road km 21 to chaukuna motor road	ROAD118652015540	113118652015540	01 Jul 2015	CA: 1145144/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 3363380/- Nil : 0/- Nil : 0/- Nil : 0/- Total : 5672524/-	PAID	Fund Demand Verified by : 18 Mar 2016 Nodal Officer On : Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : Transaction Date : 08 Jul 2015	Demand Letter General Challan
8	FP/UK/ROAD/9530/2015 Jainti-Pipli Motor Road to Sira Chapar Motor Road	ROAD95302015203	11395302015203	01 Jul 2015	CA: 1369853/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 3144533/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 5890796/-	PAID	Fund Demand Verified by : 16 Feb 2016 Nodal Officer On : Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 01 Mar 2016 Transaction Date : 08 Jul 2015	Demand Letter General Challan

Disclaimer

An innovative e-Governance initiative of MoEFCC for Transparent and Responsive Governance.
For any clarification, kindly contact at (011-24695407 or may send E-Mail monitoring-fc(at)nic(dot)in.)

Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

For any Technical Support, Please Contact
Environment, Forest and Climate Change Information Division (EFCID), New Delhi
monitoring-fc[at]nic[dot]in

सलगनक-02

आदेश

पत्र प्राप्त

क्र. सं.

दिनांक

2009

30/11/15

जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मोरनौला-जैती मोटरमार्ग से चौकना तक प्रस्तावित मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली कुल-4.004 हैक्टर वन भूमि के सापेक्ष दुगुने क्षेत्रफल अर्थात्-8.008 हैक्टर सिविल भूमि को नियमानुसार क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, (पी.एम.जी.एस.वाई.) लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक-1269/3-सी. (वनभूमि) दिनांक: 23-10-2015 के द्वारा प्रेषित क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि के अभिलेखों :-परियोजना का नाम संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, प्रस्तावित ग्राम की खतौनी में नकल, प्रारूप-2, एवं प्रस्तावित की गई भूमि का मौका नक्शा के आधार पर ग्राम ग्राम-करगेत, पट्टी-पल्ला-सल्ट, पटवारी क्षेत्र-टुकरा, तहसील-सल्ट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-20 की श्रेणी-09 (3)ड " कृषि योग्य बंजर भूमि " के पैमायसी खेत न0 72 मध्ये रक्वा-3.125 है0, तथा खेत नम्बर-114 का रक्वा-4.883 है0 इस प्रकार कुल-8.008 हैक्टर सिविल भूमि को क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, सल्ट कू0 तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

ह0/-

(सविन बंसल)

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

अमीन
कु.अ.प्र. आदेशक
कार्यालय की

20-11-15
E.E.

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
संख्या 1121 / ग्यारह-14/2015-16 दिनांक 19 नवम्बर, 2015

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।
अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, (पी.एम.जी.एस.वाई.) लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
उप जिलाधिकारी, सल्ट जनपद-अल्मोड़ा ।
तहसीलदार, सल्ट को उपरोक्तानुसार अनुपालन किये जाने हेतु ।

काया प्रति प्रमाणित

वि. सं. सी. 10/15,
बस्नोडा

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

स्तनी उद्धारण

ग्राम - करगैत, पट्टी - पल्ला सल्ट, पटवारी क्षेत्र डुकरा, तहसील सल्ट, जिला - अल्मोड़ा

खाला संख्या	खालेदार का नाम	खेत नम्बर	रकबा (हेक्टेयरमें)	विवरण	
श्रेणी	9(3) ड	4	0.020		
20	"कृषि योग्य लैंडरूमि"	10 क्रमशः	0.285 क्रमशः	<p>श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश संख्या 1124/ग्यारह-13/2015-16 दिनांक 19 नवम्बर 2015 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में मोस्नीला-जैती मोर मर्ग से-चौकना तक प्रस्तावित जैती मोर मर्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित होने वाली 4.004 हेक्टेयर वन भूमि के सापेक्ष डुकरा क्षेत्र की सिविल भूमिको नियमानुसार क्षतिपूर्त वृक्षारोपण हेतु ग्राम करगैत के जैर जर वि० खाता संख्या 20 की श्रेणी 9(3) ड व.का.कग० के पैमाइशी खेत नम्बर 72 मध्ये 3.125 हेक्टेयर, खेत नम्बर 114 मध्ये 4.883 हेक्टेयर कुल रकबा 8.008 हेक्टेयर भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामन्तरित की जाती है।</p>	
		61 68 क्रमशः	0.015 4.012 क्रमशः		
		72 ✓ 74 क्रमशः	19.453 0.058 क्रमशः		
		103 105 109	2.262 1.198 0.026		
		114 ✓ 120 क्रमशः	4.883 0.008 क्रमशः		
		407 409 क्रमशः	1.201 0.086 क्रमशः		
		432 434 क्रमशः	8.804 0.023 क्रमशः		
		563 575 क्रमशः	20.251 0.018 क्रमशः		
		598 599 क्रमशः	4.689 0.705 क्रमशः		
		608 611 619 क्रमशः	0.251 6.567 0.932 क्रमशः		
		4591 4593 4595 4596 क्रमशः	0.164 2.025 1.344 2.921 क्रमशः		
		5330 5332	2.396 3.881		
	योग	1136 नं०	190.216		

(Signature)
 जय जर वि० खाता
 संख्या 20

महोदय,
 जैर जर वि० खाता की उद्धारण
 हेतु किया।

(Signature)
 जय जर वि० खाता

(Signature)
 तहसीलदार
 जय जर वि० खाता
 अल्मोड़ा

स्वामित्व में दिये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मोरनौला जैती मोटर मार्ग के किलोमीटर 21 से चौकुना मोटर मार्ग (लम्बाई 16.325 कि०मी०) (जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या 465/X-4-15/1(264)/2015 दिनांक 01 जुलाई, 2015 द्वारा निर्गत हुई है) के निर्माण हेतु 4.004 हैक्टेयर वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व ग्राम करगेत, तहसील सल्ट, जनपद अल्मोड़ा की प्रस्तावित 8.008 हैक्टेयर सिविल भूमि, जिसका वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के आदेश संख्या 1121/ग्यारह-14/2015-16, दिनांक 19 नवम्बर, 2015 द्वारा किया जा चुका है तथा तत्क्रम में राजस्व अभिलेखों में भी क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उक्त प्रस्तावित सिविल भूमि वन विभाग के स्वामित्व में दर्ज हो गई है।


अग्निशमनी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मोरनौला जैती मोटर मार्ग के किलोमीटर 21 से चौकुना मोटर मार्ग (लम्बाई 16.325 कि०मी०) मोटर मार्ग का निर्माण।


बचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु सक्षम स्तर से यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा कर दी जायेगी।


अधिसिपासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०
अल्मोड़ा

जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से पालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मोरनौला जैती मोटर मार्ग के किलोमीटर 21 से चौकुना मोटर मार्ग (लम्बाई 16.325 कि०मी०) के निर्माण के दौरान जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक सुझावों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।


अधिसूत्री अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०
अल्मोड़ा

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Magistrate ALMORA

NO.....Memo.....

Dated 01/04/2015

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.004** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Rural Development department Uttarakhand** (name of user agency) for **Construction of Mornaula - Janti Motor Road Kilometer 21 to Chaukuna Motor Road (Length 16.325 K.m)** (purpose for diversion of forest land) in **Almora** district falls within jurisdiction of **Danyoli, Naugaon, Sainoli, Chaukuna, Baram Laga Chaukuna & Soori** village (s) in **Janti** tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.004** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram sabha(s), sub-Division level committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.....to annexure.....
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

(Vinod Kumar Suman)

स्वाया प्रति स्थापित

वहारा
दि. 01. 04. 2015
बलवाकु

(Full name and official seal of the District Magistrate

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT ALMORA (U.K.)


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006

A meeting of the **Almora** district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S. district magistrate Almora** on dated 01.04.15 at time 11:00 A.M/P.M. At **Almora** in which application claiming rights in **Mail** area measuring **4-004** hect. For the construction of **Mornaula - Janti Motor Road Kilometer 21 to Chaukuna Motor Road (Length 16.325 K.m)** under **PMGSY** in **District Almora** of forest land under **FRA. 2006** of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Janti** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Almora

Dated 01/04/2015


01.04.15
(Vinod Kumar Suman)
District Magistrate cum-Chairman
District Level Committee
DISTRICT ALMORA (U.K.)

काया प्रति प्रमाणित

नहायक अधिवक्ता
वि. सं. सी. नि. अ. अ.
अल्मोरा

कार्यालय उप जिलाधिकारी, जैती
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, जैती

उपखण्ड जैती परिक्षेत्र के अन्तर्गत मोरनौला - जैती मोटर रोड के किलोमीटर 21 से चौकुना मोटर मार्ग (लम्बाई 16.325 कि०मी०) के निर्माण हेतु (0.00 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, 1.498 हैक्टेयर सिविल एवं सोयम भूमि, 2.506 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 4.004 हैक्टेयर वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील जैती) की दिनांक..... 14/12/14..... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण-


अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनिल कुमार चन्पाल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री अनिल कुमार चन्पाल, उप जिलाधिकारी - अध्यक्ष
- 2- श्री महिपाल सिंह सिरौही, उप प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत - सदस्य
- 3- भारत विष्ट, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, लमगड़ा - सदस्य/सचिव
- 4- श्री विक्रम सिंह बोरा, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र चौकुना - सदस्य
- 5- श्री दीवान राम, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र बाराकोट - सदस्य
- 6- श्री बलवन्त सिंह नगरकोटी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पुभाऊँ - सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मोरनौला - जैती मोटर रोड के किलोमीटर 21 से चौकुना मोटर मार्ग (लम्बाई 16.325 कि०मी०) परियोजना हेतु 4.004 हैक्टेयर वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जैती परिक्षेत्र के अन्तर्गत मोरनौला - जैती मोटर रोड के किलोमीटर 21 से चौकुना मोटर मार्ग (लम्बाई 16.325 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु 4.004 हैक्टेयर वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - जैती
जनपद - अल्मोड़ा

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

द्वारा प्रति प्रमाणित


तहसील - जैती,
दि. व. मो. दि. व. दि. व.
अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - जैती
जनपद - अल्मोड़ा

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत मोरनौला - जैती मोटर रोड के किलोमीटर 21 से चौकुना मोटर मार्ग (लम्बाई 16.325 कि०मी०) का निर्माण।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - दन्योली
तहसील - जैती, जिला - अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) में मोरनौला - जैती मोटर रोड के किलोमीटर 21 से चौकुना मोटर मार्ग (लम्बाई 16.325 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, 1.498 हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, 2.506 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 4.004 हैक्टेयर वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दन्योली द्वारा दिनांक 03/12/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम दन्योली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग/संस्था प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

बलवंत सिंह
सदस्य
ग्राम पंचायत (गाऊँ
दण्डा
ग्राम सचिव (अल्मोड़ा)

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र - दण्डा
दण्डा
जनपद-अल्मोड़ा

प्रधान
ग्राम पंचायत-थामशोली
वि.ख.-लम्गाड़ा (अल्मोड़ा)
ग्राम प्रधान

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रमाण पत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

द्वारा प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता,
दि. ००, सी. नि. ००,
अल्मोड़ा

दिनांक..... 03/12/2014..... को ग्राम सभा में सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत - दन्धोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01.	प्रेम नाथ	प्रेम नाथ
02.	नारायण नाथ	नारायण नाथ
03.	मोहन चन्द	मोहन चन्द
04.	सुखराम चन्द	सुखराम चन्द
05.		
06.	दिनेश चन्द	दिनेश चन्द
07.	Mohan Singh Nepi	
08.	Mohan Chandra J.P.M.	
09.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		

ग्राम सचिव
दन्धोली

श्याम प्रति प्रसागत
सहायक सचिवता,
वि. ख., लो. नि. वि.,
दन्धोली

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत-दन्धोली
वि. ख. - लमगाड़ा (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत मोरनौला - जैती मोटर रोड के किलोमीटर 21 से चौकुना मोटर मार्ग (लम्बाई 16.325 कि०मी०) का निर्माण।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - नौगाँव
तहसील - जैती, जिला - अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) में मोरनौला - जैती मोटर रोड के किलोमीटर 21 से चौकुना मोटर मार्ग (लम्बाई 16.325 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, 1.498 हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, 2.506 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 4.004 हैक्टेयर वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दन्चोली द्वारा दिनांक 28/11/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नौगाँव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग/संस्था प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख
विकास खण्ड- लमगड़ा
अल्मोड़ा
ग्राम सचिव

ग्राम सभा/ग्राम पंचायत अधिकारी
क्षेत्र- नौगाँव
जिला- अल्मोड़ा
जनपद- अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान
क्षेत्र- नौगाँव, अल्मोड़ा

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रमाण पत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

द्वारा प्रति प्रमाणित
सहायक प्रमुख,
दि. 20. 11. 2014,
लमगड़ा

दिनांक..... 28/11/2014 को ग्राम सभा में सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत - नौगाँव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01.	बिन्दु सिंह जी.	
02.	मन	
03.	गोपाल सिंह वीरा	गोपाल सिंह वीरा
04.	बन्नी सिंह कौराजी	बन्नी सिंह कौराजी
05.	जगदीश सिंह	जगदीश सिंह
06.	महेश सिंह	महेश सिंह
07.	जगदीश सिंह वीरा	जगदीश सिंह
08.	राजेश सिंह	राजेश सिंह
09.	वीरान सिंह	वीरान सिंह
10.	बहादुर सिंह	बहादुर सिंह
11.	अशोक सिंह	अशोक सिंह
12.	दलाप सिंह	दलाप सिंह
13.	देवासिंह	देवासिंह
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		

ग्राम सभा में उपस्थित अधिकारी
ग्राम सचिव शामशोरी
ग्राम पंचायत, नौगाँव

बुद्धि प्रति प्रमाणित

ग्राम सचिव,
दि. वं. सो. नि. वि.
बल्मोडा

ग्राम प्रधान बनोद
ग्राम पंचायत, नौगाँव

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत मोरनौला - जैती मोटर रोड के किलोमीटर 21 से चौकुना मोटर मार्ग (लम्बाई 16.325 कि०मी०) का निर्माण।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - सैनोली
तहसील - जैती, जिला - अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र


जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) में मोरनौला - जैती मोटर रोड के किलोमीटर 21 से चौकुना मोटर मार्ग (लम्बाई 16.325 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, 1.498 हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, 2.506 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 4.004 हैक्टेयर वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।


उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दन्चोली द्वारा दिनांक.....25/11/2014..... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सैनोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग/संस्था प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


उत्तराखण्ड
जिला अल्मोड़ा
ग्राम सचिव



ग्राम सचिव विकास अधिकारी
क्षेत्र - सैनोली
जिला अल्मोड़ा - उत्तराखण्ड


ग्राम पंचायत - सैनोली
के सच. - सैनोली, अल्मोड़ा

नोट:- ' यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रमाण पत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

क्षया प्रति प्रमाणित


उत्तराखण्ड
डि० अ०, लो०
अल्मोड़ा

दिनांक 25/11/2014 को ग्राम सभा में सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत - सैनोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01.	मोहन सिंह नेगी	मोहन सिंह नेगी
02.	धन सिंह नेगी	धन सिंह नेगी
03.	बहादुर सिंह नेगी	बहादुर सिंह नेगी
04.	गणेश सिंह नेगी	गणेश सिंह नेगी
05.	मोहन सिंह नेगी	मोहन सिंह नेगी
06.	पुनप सिंह	पुनप सिंह
07.	दीवान सिंह	दीवान सिंह
08.	पकाश सिंह	पकाश सिंह
09.	लक्ष्म सिंह	लक्ष्म सिंह
10.	हिमंत सिंह	हिमंत सिंह
11.	रुद्र सिंह	रुद्र सिंह
12.	पंकज सिंह	पंकज सिंह
13.	राम सिंह	राम सिंह
14.	मान सिंह नेगी	मान सिंह नेगी
15.	बांसा सिंह नेगी	बांसा सिंह नेगी
16.	गोपाल सिंह नेगी	गोपाल सिंह नेगी
17.	गाना सिंह	गाना सिंह
18.	राजेश सिंह	राजेश सिंह
19.	गणेश सिंह नेगी	गणेश सिंह नेगी
20.	तिलोक सिंह नेगी	तिलोक सिंह नेगी
21.	बुधर सिंह नेगी	बुधर सिंह नेगी
22.	लखन सिंह नेगी	लखन सिंह नेगी
23.	चन्दन सिंह नेगी	चन्दन सिंह नेगी
24.	तिलोक सिंह नेगी	तिलोक सिंह नेगी
25.	दीवान सिंह नेगी	दीवान सिंह नेगी
26.	मोहन सिंह नेगी	मोहन सिंह नेगी
27.	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
28.	राम सिंह	राम सिंह
29.	आन सिंह	आन सिंह
30.	पार्वती नेगी	पार्वती नेगी
31.	श्याम सिंह	श्याम सिंह
32.	रुद्र सिंह	रुद्र सिंह
33.	धन सिंह	धन सिंह

ग्राम सचिव
सैनोली

शुभ्रा प्रति शासित
उहायक
वि० व०, सी० न० वि०,
सैनोली

ग्राम प्रधान
सैनोली

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत मोरनौला - जैती मोटर रोड के किलोमीटर 21 से चौकुना मोटर मार्ग (लम्बाई 16.325 कि०मी०) का निर्माण।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - चौकुना
तहसील - जैती, जिला - अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) में मोरनौला - जैती मोटर रोड के किलोमीटर 21 से चौकुना मोटर मार्ग (लम्बाई 16.325 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, 1.498 हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, 2.506 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 4.004 हैक्टेयर वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दन्चोली द्वारा दिनांक 07/12/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौकुना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग/संस्था प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सहायक प्रमुख
विकास खण्ड- जमगड़ा
अल्मोड़ा
ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
को. चौकुना
विकास खण्ड-जमगड़ा
जनपद-अल्मोड़ा

महेश्वर
प्रधान
14 पंचायत प्रधान
1400-जमगड़ा (अल्मोड़ा)

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रमाण पत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

श्या प्रति प्रमाणित

सहायक प्रमुख
वि. ख. को. चौकुना
अल्मोड़ा

दिनांक..... 07/12/2014 को ग्राम सभा में सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत - चौकुना

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01.	श्री पाण सिंह	PS Sharma
02.	रमेश नाथ	PS
03.	अमन सिंह	अमन
04.	मिर्जा सिंह	मिर्जा
05.	लक्ष्मी सिंह	Dr. S. Sharma
06.	प्रताप सिंह	प्रताप
07.	शिवराज सिंह	शिवराज
08.	गोपाल सिंह	गोपाल
09.	नाथ सिंह	नाथ
10.	किशन सिंह	किशन
11.	तेजा सिंह	तेजा
12.	अमन सिंह	अमन
13.	एल सिंह	एल
14.	चन्द्रन सिंह	Chandra Singh
15.	शिवराज सिंह	शिवराज
16.	जति सिंह	जति
17.	हर सिंह	हर
18.	गोधन सिंह	गोधन
19.	वीर सिंह	वीर
20.	अमन सिंह	अमन
21.	बुध सिंह	बुध
22.	जगत सिंह	जगत
23.	नीरज सिंह	नीरज
24.	विप्लव सिंह	विप्लव
25.	चन्द्रन सिंह	चन्द्रन
26.	रामजीत सिंह	रामजीत
27.	शरद सिंह	शरद
28.	अमन सिंह	अमन
29.	रामजीत सिंह	रामजीत
30.	शरद सिंह	शरद
31.		
32.		
33.		

ग्राम सचिव श्रीमती श्रीमती
ग्राम सचिव श्रीमती श्रीमती

श्रीमती श्रीमती
श्रीमती श्रीमती
श्रीमती श्रीमती

श्रीमती श्रीमती
श्रीमती श्रीमती
श्रीमती श्रीमती

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत मोरनौला - जैती मोटर रोड के किलोमीटर 21 से चौकुना मोटर मार्ग (लम्बाई 16.325 कि०मी०) का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - बरम लगा चौकुना

तहसील - जैती, जिला - अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र


जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) में मोरनौला - जैती मोटर रोड के किलोमीटर 21 से चौकुना मोटर मार्ग (लम्बाई 16.325 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, 1.498 हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, 2.506 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 4.004 हैक्टेयर वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।


उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दन्वोली द्वारा दिनांक 09/12/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बरम लगा चौकुना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग/संस्था प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


 विकास खण्ड- लमनाड़ा
 अल्मोड़ा
 ग्राम सचिव



 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
 क्षेत्र- ग्राम पौली
 विकास खण्ड- लमनाड़ा
 जनपद- अल्मोड़ा


 ग्राम पंचायत प्रधान
 वि०ख०- लमनाड़ा

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रमाण पत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

ज्ञाया प्रति प्रमाणित


 कक्षा- ग्राम पौली,
 वि० ख०, ता० ल० वि०,
 अल्मोड़ा

दिनांक 09/12/2014 को ग्राम सभा में सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत - बरम लगा चौकुना

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01.	श्री राम लाल	रामलाल
02.	॥ राम सिंह धानक	रामसिंह
03.	॥ राम सिंह	राम
04.	उमेश सिंह	उमेश सिंह
05.	नाथ सिंह पटेल	नाथ सिंह
06.	नरेश सिंह	नरेश सिंह
07.	भरत सिंह	मनी राम
08.		जमना सिंह
09.	जगत सिंह	जगत सिंह
10.	पुष्पक सिंह	पुष्पक सिंह
11.	मदन सिंह	मदन सिंह
12.	नरेश सिंह	श्रीमती
13.	नरेश सिंह	नरेश सिंह
14.	गणेश नाथ	गणेश नाथ
15.		
16.		
17.	श्री नरेश	श्रीम नाम
18.	मनोज सिंह	मनोज सिंह धानक
19.	मोहन सिंह	मोहन सिंह नेगी
20.		
21.	पुष्पक सिंह	
22.	मनोज सिंह	मनोज नेगी
23.	रमेश सिंह	Juday
24.	रमेश सिंह	Khushal योगेश
25.	योगेश सिंह	योगेश
26.	दीपक सिंह	दीपक सिंह
27.		
28.	बनारस सिंह	बनारस सिंह
29.	शेखर नाथ	शेखर नाथ
30.	नारायण नाथ	नारायण नाथ
31.		
32.		
33.		

ग्राम पंचायत
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत

काया प्रति प्रमाणित
वडा बरमला,
दि. 09. 12. 2014
बरमोडा

09/12/14
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत मोरनौला - जैती मोटर रोड के किलोमीटर 21 से चौकुना मोटर मार्ग (लम्बाई 16.325 कि०मी०) का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - सूरी

तहसील - जैती, जिला - अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) में मोरनौला - जैती मोटर रोड के किलोमीटर 21 से चौकुना मोटर मार्ग (लम्बाई 16.325 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, 1.498 हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, 2.506 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 4.004 हैक्टेयर वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।


उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दन्चोली द्वारा दिनांक 07/12/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सूरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग/संस्था प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सदस्य शाहि देवी

क्षेत्र निरवध बागरोट
14-30-अल्मोड़ा (ग्राम सचिव)



ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र चौकुना
विभाग सड़क-अल्मोड़ा
जनपद-अल्मोड़ा


ग्राम प्रधान
क्षेत्र पंचायत (एन)
क्षेत्र पंचायत - पृथ्वी
14-30-अल्मोड़ा (अल्मोड़ा)
ग्राम प्रधान

नोट:- ' यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रमाण पत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

क्षया प्रति प्रमाणित


सहायक विभागाध्यक्ष,
दि० व० नि० दि०
अल्मोड़ा

दिनांक 07/12/2014 को ग्राम सभा में सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत - सूरी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01.	अजय नाथ	
02.	राम सिंह	
03.		
04.	पुन नाथ	
05.	धनी राम	
06.	लोकेश सिंह प्रजापति	
07.	रमेश सिंह	
08.	हरि नाथ	
09.	रमेश सिंह	
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		

ग्राम/सचिव

ग्राम प्रधान

श्रीया प्रति प्रमाणित

ग्राम प्रधान,
वि. बं., लो. नि. वि. वि.
बलमोड़ा

ग्राम पंचायत सूरी,
ग्राम पंचायत - पृथार्डे,
ब. बं. - बलमोड़ा (बलमोड़ा)

ग्राम प्रधान

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जैती मोटर मार्ग के किलोमीटर 21 से चौकुना मोटर मार्ग (लम्बाई 16.325 कि०मी०) मोटर मार्ग के सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या 465/X-4-15/1(264)/2015 दिनांक 01 जुलाई, 2015 अधोरापित शर्तों/प्रतिबन्धों का अक्षरक्षः पालन किया जायेगा।

अधिसूची अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०
अल्मोड़ा